तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/6524/2002/चित्तौडगढ.** **श्रीमती घीसी बाई उर्फ सुशीला बनाम मु0 गीता बाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.09.2021	**खण्डपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **श्री गणेश कुमार, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री उत्तम प्रकाश आमेटा, अभिभाषक अपीलांटस श्री जी0एस0लखावत, अभिभाषक रेस्पो0 **निर्णय** यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौडगढ दिनांक 19.08.2002 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया/अपीलांट ने एक दावा अंतर्गत धारा 88, 53 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत परीक्षण न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादपत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 8 कुल रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि का खातेदार भूरा व प्रभू थे, जो दोनों सगे भाई थे। प्रभू का देहांत संवत 2003 में हो गया था। संवत 2012 तक उपरोक्त आराजी भूरा व प्रभू के नाम दर्ज रही। प्रभू की बेवा हगामी बाई थी एवं उसके वादिया के अलावा कोई औलाद नहीं थी। प्रभू की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी हगामी बाई विवादित आराजी ही हकदार बनी तथा हगामी बाई की मृत्यु के पश्चात उसकी एक मात्र पुत्री वादिया घीसीबाई उर्फ सुशीला मालिक दर्ज हुई। इस प्रकार विवादित आराजी में वादिया का आधा हिस्सा होता है। परन्तु प्रतिवादीगण जो भूरा के उत्तराधिकारी है, ने प्रभू को लाऔलाद बताकर सम्पूर्ण आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली साथ ही नामांतरकरण संख्या 70 अपने नाम स्वीकृत करवा लिया। अतः उक्त विवादित आराजी में वादिया को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। परीक्षण न्यायायल ने दावा व जबाव दावा के आधार पर 5 तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2001 से दावा खारिज कर डिक्री कर दिया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/6524/2002/चित्तौडगढ.** **श्रीमती घीसी बाई उर्फ सुशीला बनाम मु0 गीता बाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौडगढ के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.2002 से अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से ग्रसित होकर यह अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादिया के दादा स्व0 नारायणजी के दो पुत्र भूरा व प्रभू थे। भूरा के उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 क्रमशः मांगीलाल, देवीलाल व श्यामलाल थे तथा प्रभू की उत्तराधिकारी वादिया अकेली थी। प्रभू की मृत्यु संवत 2003 में हो गयी थी। प्रभू की पत्नि हगामी बाई जो वादिया की माता थी, की मृत्य संवत 2037 में हुई। प्रभू के कोई लडका नहीं होने से माफी मेवाड की धारा 5(3) के तहत उनकी मृत्यु के पश्चात वादिया ही उनकी वारिस बनी। प्रतिवादीगण ने नामांतरकरण संख्या 70 विधि विरूद्ध जाकर अपने नाम दर्ज करवा लिया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के पूर्व वादिया की माता को सीमित अधिकार थे। वादिया की माता का देहांत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद हुआ एवं प्रभू की जायदाद उसके कब्जे में थी। इसलिए वह उक्त आराजी की पूर्ण स्वामी हो गयी इसलिए नामांतरकरण वादिया की माता एवं वादिया के नाम पारित होना चाहिए था। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रतिवादी द्वारा प्रभू के जीवनकाल में ही देवीलाल को रखना एवं उसके मरने के बाद पगडी बंधने से स्वामी होना गलत बताया गया है। प्रभू ने अपने जीवनकाल में किसी को भी गोद नहीं लिया। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रभू की बेवा हगामी बाई थी अगर उसका अधिकार समिति भी माना जावे तो भी उसको धारा 14 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाते है। क्योंकि वह प्रभू के हिस्से की जमीन पर काबिज थी एवं उसका भरण पोषण उक्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/6524/2002/चित्तौडगढ.** **श्रीमती घीसी बाई उर्फ सुशीला बनाम मु0 गीता बाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जमीन की आय से ही होता था। उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयो ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रतिवादीगण द्वारा गलत तौर पर भूमि का विक्रय किया गया यह तथ्य प्रमाणित होते हुये भी परीक्षण न्यायालय ने वादिया का वाद खारिज कर दिया जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय द्वारा परीक्षण न्यायालय के निर्णय को सही मानते हुये वादिया/अपीलांट की अपील को विधि विरूद्व तरीके से खारिज कर दिया। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 1993 आर0आर0डी0 पेज 300, 1995 आर0आर0डी0 पेज 603, 1997 आर0आर0डी0 पेज 168 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अपनी को स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को अपास्त करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजी मेवाड स्टेट में माफी दर्ज थी। माफीदार का उत्तराधिकारी पुरूष ही हेाता है तथा प्रभू के कोई पुरूष संतान नहीं थी इसलिए तीनों प्रतिवादीगण को प्रभू का वारिस बनाया गया। वर्ष 1935 में भारत में ब्रिटीश शासन के दौरान विधवा अथवा लडकी को समिति अधिकार प्राप्त थे वे पूर्ण स्वामिनी नहीं बन सकती यदि प्रतिवादीगण (भतीजे) नहीं होते तो वर्ष 1956 में विधवा को हक प्राप्त हो जाते। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादीया ने अपने वादपत्र में प्रतिवादी देवीलाल के तहसील कर्मचारी होने से अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम का गलत इन्द्राज करा लेने का कथन किया परन्तु राजस्व अभिलेख एवं तत्कालीन कानून के अनुसार प्रभू के कोई पुरूष औलाद नहीं होने से खाता प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुआ जो तत्कालीन प्रचलित विधि के अनुसार सही है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजी को प्रतिवादीगण की खातेदारी में नियमानुसार दर्ज करने का निर्णय किया गया है इसलिए खातेदार द्वारा विक्रय की गयी भूमि को अवैधानिक नहीं माना जा सकता । यदि विक्रय अवैध था तो वादिया को सिविल न्यायालय में कार्यवाही कर इसे निरस्त कराना चाहिए था। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/6524/2002/चित्तौडगढ.** **श्रीमती घीसी बाई उर्फ सुशीला बनाम मु0 गीता बाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1967 आर0एल0डब्ल्यू0 पेज 135, 1960 आर0एल0डब्ल्यू0 पेज 95 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधिसंगत मानते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त करने का निवेनद किया।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया।

प्रकरण की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के अवलोकन से वस्तुस्थिति इस प्रकार स्पष्ट होती है कि विवादित भूमियों का मूल खातेदार प्रभूलाल जब वर्ष 1945 अर्थात सवंत 2003 में मरा था तो उसके उत्राधिकार के संबंध में तत्कालीन समय में प्रचलित उत्तराधिकार विधि के अनुसार ही पक्षकारों के हको का विधिसंगत रूप से निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। विवादित भूमियां माफी/जागीर की भूमियां थी जो उस समय मेवाड स्टेट के अंतर्गत प्रचलित विधि और नियमों के अनुसार शासित होती थी। मेवाड स्टेट के तत्समय प्रचलित विधि व नियमों के अनुसार केवल पुरूष संतान ही उत्तराधिकारी बन सकते थे। अतः वर्ष 1958 में इन नियमों व प्रावधानों के अनुसार जो इंतकाल विरासतन स्वीकृत किया गया है वह प्रभू की मृत्यु के तत्समय प्रचलित विधि के अनुसार ही स्वीकृत किया गया था।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभू की पत्नी हगामी बाई द्वारा उसके जीवन काल में इस इंतकाल के द्वारा स्वीकृत विरासत के संबंध में कोई क्लेम या दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था। विवादित भूमि के संबंध में जब परीक्षण न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया था उस समय हगामी बाई पक्षकार नहीं थी। विवादित भूमियों के संबंध में संबंधित इंतकाल के द्वारा विरासत का निर्धारण करने में प्रभू की मृत्यु के समय प्रचलित विधि और नियमों का ही अनुसरण किया गया था। इस संबंध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से भी इसी विधिक स्थिति की पुष्टि होती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 144 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अनुसार जमाबंदी अधिकार अभिलेख की श्रेणी में आता है व इस अधिकार अभिलेख जमाबंदी और अन्य राजस्व रिकार्ड में तत्समय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/6524/2002/चित्तौडगढ.** **श्रीमती घीसी बाई उर्फ सुशीला बनाम मु0 गीता बाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

से संबंधित वारिस प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ही निरंतर रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज चले आ रहे है। इतने लंबे समय के पश्चात विधि अनुसार रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार के खातेदारी अधिकार समाप्त करना विधिसंगत व न्यायोचित नहीं है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस प्रकरण में समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये है। इन समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय में कोई महत्पूर्ण विधिक त्रुटि या अनियमितता पाया जाना प्रमाणित नहीं होता है, जिसके आधार पर इनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके।

परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 14.03.01 व 19.08.02 बहाल रखे जाते है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य